संख्या –213 /V-2–2017–412(आ0)/2001

प्रेषक,

सुशील कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 11 अप्रैल, 2017

विषयः उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में विकसित योजनाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप सं0–1178/v-2-2015-412(आ)/2001 दिनांक 21–7–2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के उत्तराखण्ड राज्य में स्थित परिसम्पत्तियों के मानचित्र स्वीकृति के अधिकार उत्तराखण्ड के विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों एवं नगर पालिकाओं के अधीन नियुक्त/नामित सक्षम प्राधिकारियों को प्रदान किया गया था।

2– इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (संशोधित अधिनियम, 2009) की धारा 32 में परिषद अथवा राज्य सरकार द्वारा आवास विकास परिषद के माध्यम से क्रियान्वित/विकसित की जाने वाली आवासीय एवं सुधार योजनाओं को गजट में अधिसूचित किए जाने का प्रावधान है और अधिनियम की धारा 96 के अन्तर्गत आवास एवं विकास परिषद की अधिसूचित योजनाओं के संदर्भ में (Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations) Act, 1958 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के प्रावधान प्रभावी न होने की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1873 की धारा 59 में यह भी प्रावधान किया गया है कि उ0प्र आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 32 के अधीन अधिसूचित आवास एवं विकास परिषद की योजनायें उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की परिधि से बाहर होंगी। इस प्रकार, उक्त संदर्भित अधिनियमों के उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार उ0प्र आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं पर विकास प्राधिकरण, विनियमित क्षेत्र एवं नगर पालिका सम्बन्धी उक्त प्रावधानों के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और ऐसी योजनाओं के सम्बन्ध में उ0प्र आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के ही प्रावधान लागू होते हैं।

3– यह भी उल्लेख करना है कि उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित परिसम्पत्तियों पर नियंत्रक कार्यवाही एवं उनके क्रय–विक्रय के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका सं0–01(एम/एस) 2012 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 03–1–2012 में व्यक्त

किया गया है कि "In view of Section 43 of the U.P. Reorganisation Act, 2000 Prima facie, the opinion of Court is that the control on such property will be of the authorities in Uttarakhand and not of Uttar Pradesh."

4– इसके साथ ही मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में योजित एक अन्य रिट याचिका (एम/एस) संख्या–670/2015 में दिनांक 20–3–2015 को मा0 न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

> "Having considered all the submissions, this Court stays the auction/allotment pursuant to the advertisement Annexure No.1 published by Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parished and it is hereby further made clear that till the Writ Petition (M/S) 1/2012 is finally adjudicated, no advertisement will be published by Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parished in this regard. Any auction/allotment/sale done by Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parished regarding any land or property situated with the State of Uttarkhand will be deemed to be void ab initio."

5– चूंकि उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965) संशोधित, 2009 प्रभावी है तथा साथ ही अधिसूचना सं0–2326/v-2-2009-111(आ)/2008 दिनांक 04–11–2009 द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद का गठन किया जा चुका है, अतः उपरोक्त विधिक स्थिति के आलोक में कार्यालय ज्ञाप सं0–1178/v-2-2015-412(आ)/2001 दिनांक 21–7–2015 को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित ऐसी परिसम्पत्तियों/परियोजनाओं, जिन पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 32 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गयी है तथा जिन पर उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 43 के तहत प्राधिकार उत्तराखण्ड के प्राधिकारियों का है, में सम्पादित किए जाने वाले किसी भी प्रकार के विकास (स्थल विकास/भवन निर्माण) की गतिविधियों तथा भू–उपयोग आदि के संदर्भ में योजना विशेष की अवस्थिति के अनुसार कार्यवाही उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद द्वारा की जायेगी।

6– इसके साथ ही मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सम्पत्तियों के क्रय विक्रय एवं पंजीकरण पर पूर्व की भांति रोक यथावत् रहेगी।

(सुशील कुमार)
अपर सचिव

संख्या–213/V-2–2017–412(आ0)/2001 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. आयुक्त, गढवाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
5. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

6. समस्त नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तराखण्ड।
7. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, उत्तराखण्ड।
8. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के उत्तराखण्ड राज्य में तैनात समस्त अधिकारीगण/कार्यालय प्रभारी।
9. महानिदेशक, सूचना उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव